

11-31/AAJVS/2010

Tele fax: 03192-238725 (O)

सं. डब्ल्यू.एस./9-3/सी.ई./2011-12/99

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

मुख्य अभियंता कार्यालय

अण्डमान लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन

(26)

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 11/1/12

ज्ञापन

सक्षम प्राधिकारी, अ० तथा नि० प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर द्वारा निम्नलिखित प्राक्कलन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय मंजूरी प्रदान कर दिया गया है।

प्राक्कलन का विवरण : Repair and Maintenance of Passenger Hall at Middle Strait Jetty.

कार्य सं. : Deposit Work / 2011-12 / 38

राशि : ₹ 3,57,466/-

लेखा शीर्ष : **"DEPOSIT WORK" (AAJVS)**

यह कार्य कार्यपालक अभियंता, CD-I, अ० लो० नि० वि०, Rangat द्वारा किया जाएगा।

इस निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से या तो मूल बजट में या पूरक माँग के पुनर्विनियोजन में धनराशि उपलब्ध कराने पर कार्य आरंभ किया जाएगा। सा० वि० नि० 131 के अन्तर्गत प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(जोस० पी० जॉन)
सहायक अभियंता (निर्माण)

सेवा में

1. अधीक्षण अभियंता(योजना), CE's office, अ० लो० नि० वि०, Port Blair को अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. कार्यपालक अभियंता, CD-I, अ० लो० नि० वि०, Rangat को अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. कार्यपालक अभियंता, CD-I, अ० लो० नि० वि०, Rangat, के द्वारा संबंधित सहायक अभियंता को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना हेतु अप्रेषित :-

1. The Principal of Audit (Central), Office of the Principal of Audit (Central), Govt. of India, Press Building (East Wing), 8 Kiron Sankar Roy Road, Kolkata - 700 001.
2. लेखा एवं बजट निदेशक, अ० तथा नि० द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर।
3. The Executive Secretary, AAJVS, Secretariat Complex, Port Blair.
4. सहायक सचिव(योजना), अ० तथा नि० प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर।
5. वित्त अधिकारी, मु० अ० का कार्यालय, अ० लो० नि० वि०, पोर्ट ब्लेयर।
6. फा.सं. डब्ल्यू.एस./13-6/2001/
7. अतिरिक्त प्रतियाँ - 2 अदद।

(जोस० पी० जॉन)
सहायक अभियंता (निर्माण)